भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1169

सोमवार, 28 जुलाई, 2025 / 6 श्रावण, 1947 (शक)

कोलार स्थित टाटा विस्ट्रॉन इकाई में संविदात्मक रोजगार का प्रचलन

1169. श्री एम. मल्लेश बाबूः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कोलार स्थित टाटा विस्ट्रॉन इकाई में कार्यरत कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा तृतीय-पक्ष एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स किए गए संविदा कामगार हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे कामगारों, जिनमें से कई को तीन बार नवीयन के बाद हटा दिया जाता है, के लिए बार-बार (सामान्यतः11 महीने के) अल्पकालिक अनुबंधों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है या कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित मुद्दों के समाधान और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम**,** 1970 को कुछ प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में इसके उन्मूलन और उससे संबंधित मामलों के प्रावधान को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

कोलार स्थित टाटा विस्ट्रॉन इकाई में ठेका कामगारों के "बार-बार सामान्यत: पर 11 महीने के अल्पकालिक अनुबंध चक्रों" के संबंध में इस मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****